न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/20/2016	29–06–2016	13–06–2018

1–ठाकरसी पुत्र दुल्ला जाति गुर्जर निवासी मौसमपुर कांकरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज.
2–रामरतन पुत्र दुल्ला जाति गुर्जर निवासी मौसमपुर कांकरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज.

–: अपीलान्ट्स

बनाम

1– श्रीराम पुत्र ख्याली जाति गुर्जर निवासी मौसमपुर कांकरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज.
2– बरफो देवी स्त्री रामनिवास जाति गुर्जर निवासी मौसमपुर कांकरा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज.

–: रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 26.05.2016
नामान्तकरण संख्या 1059 ग्राम मौसमपुर तह0 बहरोड़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलान्ट
02. श्री भूपसिंह पोसवाल –वकील रेस्पाडेन्ट्स

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 26.05.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1059 ग्राम मौसमपुर, तहसील बहरोड़ जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 332/0.14, 333/0.20, 334/0.21, 335/0.27 है0 ग्राम मौसमपुर तहसील बहरोड़ में स्थित है। विवादित आराजी एवं अन्य आराजी अपीलांट के बुजुर्ग लादू पुत्र त्रिलोका गुर्जर के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर लादू पुत्र त्रिलोका जीवन पर्यन्त काबिज रहकर काश्त करते रहे थे। जिनका निधन हो गया है और उनके निधन के बाद बतौर जायज वारिस अपीलांट्स व रैस्पो0 संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर 1/2 भाग पर अपीलांट व 1/2 भाग पर रैस्पो0 संख्या 1 काबिज रहकर काश्त, उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है व अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर काबिज है। रैस्पो0 संख्या 1 श्रीराम ने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से साठ–गाठ कर बिना किसी अधिकार के अपने नाम खातेदारी आराजी दर्ज करा ली, जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट का रैस्पो0 संख्या 1 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के यहां पेश किया जिसे विधिक रूप तरीके से रैस्पो0 संख्या 1 के प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने 09.12.2015 को भू–प्रबन्ध एंव राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें उक्त अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 15.12.2015 को स्थगन आदेश जारी कर रैस्पो0 संख्या 1 को पाबंद किया कि वह उक्त विवादित आराजी को रहन बय आदि से मुन्तकिल ना करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अपील वर्तमान में भी अपीलीय

दिनांक 23.05.2016 को विधि विरूद्ध तरीके से रैस्पो0 संख्या 2 के नाम कर दिया, जिस बयनामें के आधार पर तहसीलदार बहरोड द्वारा नामांतरकरण संख्या 1059 निर्णय दिनांक 26.05.2016 के द्वारा मौके व कब्जे के खिलाफ रैस्पो0 संख्या 2 के नाम स्वीकार कर दिया। विवादित आराजी के 1/2 भाग पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है, जिस पर रैस्पो0 संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है। रैस्पो0 संख्या 1 का कब्जा तो बाकी 1/2 भाग पर ही है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार बहरोड को मौके व कब्जे की रिपोर्ट तलब करनी चाहिए थी। लेकिन तहसीलदार साहब द्वारा ऐसा नहीं किया गया और बिना मौका कब्जा देखे हुए ही आलोच्य निर्णय पारित कर दिया गया। विवादित आराजी बाबत अपने हकूक तय कराने के लिए न्यायालय भू–प्रबन्ध एंव राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां अपील पेश की हुई है, जो विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। उसके बावजूद जानबूझकर रैस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी का विक्रय रैस्पो0 संख्या 2 को कर दिया गया तथा तहसीलदार द्वारा उक्त बयनामें के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार किया गया है। उपरोक्त नामांतकरण दौराने लम्बित अपील स्वीकार किया गया है, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार यदि वाद/अपील के लम्बित होने के दौरान कोई हस्तानांतरण किया जाता है तो वह गैर कानूनी होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होता है तथा केता वाद/अपील के अन्तिम निर्णय से कानूनन पाबंद होता है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय नामांतरकरण संख्या 1059 दिनांक 26.05.2016 वाके ग्राम मौसमपुर तहसील बहरोड जिला अलवर निरस्त फरमाया जावें। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में आर0आर0डी0 1989 पेज 224, आर0आर0टी0 2013 (2)1033(एस.सी.), आर0आर0डी 1985 पेज 170, आर0आर0डी0 1998 पेज 368 पेश किये।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी पूर्व से ही हमारी खातेदारी आराजी रही है। इसमें अपीलान्ट का कोई लेना–देना नही है। हमारी खातेदारी आराजी को बेचने का हमें पूरा हक व अधिकार है। रैस्पॉडेन्ट नम्बर 01 के कोई पुत्र नही होने के कारण अपीलान्ट उसकी खातेदारी आराजी को अपने नाम करवाना चाहते है। जिसका अपीलान्ट को कोई हक व अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बहरोड के निर्णय के विरूद्व न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील पेश की गई थी जिस अपील में न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को रहन, बय नही करने एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाई रखी जाने के आदेश दिनांक 15.12.2015 को दिये गये थे, जो आज भी प्रभावी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर स्थगन होने के बावजूद दिनांक 23.05.2016 को रैस्पॉडेन्ट नम्बर 01 ने उक्त विवादित आराजी रैस्पॉडेन्ट नम्बर 02 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेच दी गई तथा नामान्तरकरण संख्या 1059 दिनांक 26.05.2016 द्वारा तहसीलदार बहरोड ने उक्त बयनामे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार कर दिया गया। रैस्पॉडेन्ट नम्बर 01 द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन होने के बावजूद रैस्पॉडेन्ट नम्बर 02 को किया गया बेचान विधि विरूद्व है क्योकि दोराने अपील व स्थगन होने के बावजूद विवादित आराजी का बेचान किया गया है। तहसीलदार बहरोड द्वारा स्थगन के बावजूद उक्त विवादित आराजी का बयनामे के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया गया नामान्तरकरण भी विधिविरूद्व है क्योकि तहसीलदार बहरोड द्वारा दोराने अपील व स्थगन होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार किया गया है। तहसीलदार बहरोड से उक्त संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लिया जावें। स्थगन के बावजूद किये गये बयनामें व नामान्तरकरण के संबंध में न्यायालय की अवमानना (कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट) के संबंध में अपीलांट द्वारा कार्यवाही संबंधित न्यायालय में भी की जानी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बहरोड द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1059 दिनांक 26.05.2016 निरस्त

किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बहरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस प्रकरण के संबंध में न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)